प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 07.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–20 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 06.10.2019 को जनपद के थानों से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.राकेश सिंह पुत्र राम भिखारी नि० मुकुन्द पुर दरियाव थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–199/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.महेश कुमार पुत्र स्व मेवालाल नि0 तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोंडा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–296/19, 02. संगमलाल सोनकर उर्फ सुल्लर पुत्र जियालाल नि0 पण्डित पुरवा मौजा तिर्रे मनोरमा थाना इटियाथोक जनपद गोंडा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–276/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की का अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार– अपहृता बरामद

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व0 राम लखन कोरी नि0 चौबेपुर मौजा राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–140/19, धारा 363.366 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना धानेपुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें धानेपुर पुलिस ने आज दिनांक 07.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को कस्बा बाबागंज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

लोकसेवक के काम में बाधा डालने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील गोस्वामी पुत्र बिजली गोस्वामी नि0 सुक्खन पुरवा मौजा भदैया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–229/19, धारा 353.342.504.506 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.10.2019 को 33/11 विधुत विभाग कटराबाजार में टी0जी0 सेकेण्ड के पद पर तैनान अर्जुन कुमार पाल अवर अभियंता के निर्देशानुसार लाइनमैन दशरथ लाल व अजय कुमार के साथ ग्राम सुक्खन पुरवा में सिंगल फेज एल0टी0 केवल लगवा रहे थे, पूरी लाइन खीचने के उपरान्त लाइन चालू करने पर अचानक केवल में आग लग गयी थी। केवल बदलवाने की बात को लेकर सुनील अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर राजकीय कार्य में बाधा डालते हुए गाली–गुप्ता देते हुए अर्जुन कुमार पाल को बन्धक बना लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी अर्जुन कुमार पाल द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त सुनील को सुक्खन पुरवा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचा के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नीरज सिंह पुत्र छोटकऊ सिंह नि0 ग्राम कडरूतारा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–261/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–
01. मु0अ0सं0–113/11, धारा 356 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–227/16, धारा 323.504.304 भादवि, 3(1)(10) एस0सी0एस0टी0 व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–247/19, धारा 452.354.323.504.506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–
जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों, अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 07.10.2019 को उ0नि0 इशरत हुसैन मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीरज सिंह को आटा धर्म कॉटा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 इशरत हुसैन।
02. हेड का0 रामकुमार सिंह।
03. हेड का0 देवमणि यादव।

चोरी की योजना बनाते समय 02 शतिर चोर गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. सत्यवान कुमार पाण्डेय पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय नि0 खैरा को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. सुधीर दुबे पुत्र नागेन्द्र दुबे नि0 चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–763/19, धारा 401 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–764/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. चोरी करने के उपकरण।

संक्षिप्त विवरण–
दुर्गापूजा/दशहरा त्यौहार को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने रात्रि गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग करने के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 6/7.10.2019 की रात्रि में उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे। मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय दो नफर अभियुक्तों को एल0बी0एस0 चौराहे से बस स्टाप जाने वाले चर्च के पास स्थित ढाबली के पीछे से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी करने के उपकरण व अभियुक्त सत्यवान के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. नीरज कुमार सिंह।
02. का0 अंकित कुमार।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार।